

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 75/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी, "20 प्रतिशत" अंक और शब्द के स्थान पर "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"86क. इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें.-

(1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह -

क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-

(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी ; या

(ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,

कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है ; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है ; या

घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रानिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा ।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रानिक जमा खाते के विकलन को अननुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं हैं, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे ।

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ड में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है ।”।

[फा.सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 924(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं.68/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।